

आवश्यक सूचना

कॉलेज परिसर में मोबाईल फोन का उपयोग पूर्णतया वर्जित है कोई भी विद्यार्थी मोबाईल फोन का प्रयोग करता पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। हर विद्यार्थी अपना पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से अपने गले में डालकर रखें। बिना पहचान-पत्र के प्रवेश वर्जित होगा। खाली समय में महाविद्यालय पुस्तकालय का प्रयोग करें।

आदेशानुसार
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय महेन्द्रगढ़

नोटिस

दिनांक : 09.09.2024

प्रायः ऐसा देखा गया है कि महाविद्यालय में कक्षाओं में जब अध्यापन कार्य चल रहा होता है तो विद्यार्थी बरामदों में से आवाज करते हुए गुजरते हैं तथा कभी-कभी तो मोबाईल फोन पर भी वार्तालाप करते रहते हैं जिसके कारण अध्ययन एवं अध्यापन दोनों ही कार्यों में बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न होता है।

अतः महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को आदेश दिए जाते हैं कि जब कक्षाओं में अध्यापन कार्य चल रहा होता है तो वे बरामदों में विचरण न करें और किसी तरह का कोई शोर भी न करें। कोई भी छात्र महाविद्यालय में किसी भी बाह्य व्यक्ति के साथ प्रवेश न करें तथा महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अपना पहचान-पत्र हर अवस्था में अपने गले में डालकर रखें। जिन विद्यार्थियों के पास महाविद्यालय का पहचान-पत्र नहीं पाया जाता है तो उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसे अति आवश्यक समझा जाए तथा आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

 09.09.2024
प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
महेन्द्रगढ़।